>

Title: Need to accord status of Government Employee to MAMTA and ASHA workers in the country.

श्री छेदी पासवान (सासाराम): अध्यक्ष महोदय, मैं अत्यंत ही गम्भीर बिंदु की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । यह समस्या समाज के अंतिम छोर पर बैठी हुई महिलाओं से संबंधित है । राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत देश के प्रत्येक अस्पताल, सदर अस्पताल, अनुमण्डल अस्पताल, रेफरल अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्य करने के लिए ममता सहयोगिनी और आशा सहयोगिनी का चयन किया गया है, लेकिन बिना वेतन और मानदेय के आधार पर इन लोगों से जबरदस्ती काम लिया जा रहा है । आज भी ये बंधुआ मजदूर की तरह काम करती हैं । इनका वेतन और मानदेय निर्धारित नहीं हुआ है । हम समझते हैं कि समाज के जो अंतिम छोर पर बैठे हुए लोग हैं, गरीब तबके के जो लोग हैं, उनका ही चुनाव इसमें होता है । ये नर्सें लोगों से भी ज्यादा काम करती हैं । ए.एन.एम. को 45,500 रुपये महीने मिलते हैं, एन.एम. को 12,500 रुपये मिलते हैं । जो नर्स बहाल है या अस्थायी रूप से बहाल है उसको 12,000 रुपये दिए जाते हैं । ममता सहयोगिनी को मात्र 300 रुपये और आशा में कार्यरत सहयोगिनी को मात्र 1200 रुपये मिलते हैं । अभी कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि उसमें 1200 रुपये दिए जाएंगे । आज के समय में 300 रुपये से क्या हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं? मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इन ममता सहयोगिनी और आशा सहयोगिनी का वेतन तत्काल बढ़ाया जाए और इनकी सेवा को सरकारी सेवा किया जाए ।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. संजय जायसवाल व कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री छेदी पासवान द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।